प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) सं. 206/2024

आदेश सुरक्षित : 24.01.2025

आदेश पारित : 29.01.2025

1. भानु प्रताप सिंह, पिता- श्री पीतांबर सिंह, आयु- लगभग 57 वर्ष, निवासी- वन अवरोधक के पास, खैरबार, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.) पिन 497001.

वर्तमान में अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसुचित जनजाति आयोग, भगत सिंह चौक, शंकर नगर रोड, पहुना के पास, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492001, के रूप में पदस्थ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. गणेश ध्रुव, पिता- श्री धर्मू सिंह ध्रुव, आयु- लगभग 49 वर्ष, निवासी- गोविंद, बी-17, नयापारा वार्ड, कृष्णा नगर, भाटापारा, जिला- बालोदबाजार (छ.ग.) पिन 493118

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसुचित जनजाति आयोग, भगत सिंह चौक, शंकर नगर रोड, पहुना के पास, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492001, के सदस्य के रूप में पदस्थ।

3. अमृत लाल टोप्पो, पिता- श्री जोसेफ टोप्पो, आयु- लगभग 54 वर्ष, निवासी- सेंट जेवियर स्कूल, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) पिन 497001.

वर्तमान में सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य अनुसुचित जनजाति आयोग, भगत सिंह चौक, शंकर नगर रोड, पहुना के पास, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492001, के सदस्य के रूप में पदस्थ।

4. श्रीमती. अर्चना पोर्ते, पति- श्री शंकर कंवर, आयु- लगभग 50 वर्ष, निवासी- वार्ड सं. 15, महिला महाविद्यालय, समता नगर, पेंड्रा रोड, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.) पिन 495117

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसुचित जनजाति आयोग, भगत सिंह चौक, शंकर नगर रोड, पहुना के पास, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492001, के सदस्य के रूप में पदस्थ

..... याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.) पिन 492002.

2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.) पिन 492002.

3. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.) पिन 492015

4. सचिव, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अता नगर, रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.) पिन 492015

5. अवर सचिव, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.) पिन 492015

..... उत्तरवादी

(वाद- शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री के. रोहन, अधिवक्ता

उत्तरवादियों/राज्यों की ओर से : श्री आर. एस. मारहास, अतिरिक्त महाधिवक्ता

बिभु दत्त गुरु, न्यायाधीश

द्वारा

सी.ए.व्ही. आदेश

1. वर्तमान रिट याचिका द्वारा, याचिकाकर्ताओं ने यह अभिनिर्धारित किए जाने हेतु अनुतोष की मांग की कि उत्तरवादी अधिकारियों 15.12.2023 दिनांकित 19-02/2020 25-1 (भाग) का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक-**P**/2) जारी करने की कार्रवाई जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को बर्खास्त और समाप्त कर दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य अनुसुचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 के उपबंधों का पूरी तरह से उल्लंघन और गैर-अनुपालन करना कानून की विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है। याचिकाकर्ताओं ने 15.12.2023 दिनांकित आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक-**P**/2) के आक्षेपित आदेश को रद्द करने और रद्द करने के लिए उत्प्रेषण (सर्टियोरेरी) की एक रिट जारी करने के अनुतोष की भी मांग की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. (**i**) प्रकरण के तथ्य, जैसा कि रिट याचिका में प्रस्तावित किया गया है, यह है कि पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य ने मध्य प्रदेश राज्य अनुसुचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 को अधिनियमित किया था। मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद, छत्तीसगढ़ राज्य को 01.11.2000 पर बनाया गया था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के उपबंधों के आलोक में, छत्तीसगढ़ राज्य ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 02.09.2002 के माध्यम से नामों को प्रतिस्थापित कियाः **“**मध्य प्रदेश**”** के स्थान पर "छत्तीसगढ़" तथा "भोपाल" के स्थान पर **“**रायपुर**”**। इस प्रकार, अब मध्य प्रदेश राज्य अनुसुचित जनजाति

आयोग अधिनियम, 1995 को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसुचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसुचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 (संक्षेप में 'अधिनियम, 2020') को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसुचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए अधिनियमित किया है। अधिनियम, 2020 की धारा 3 में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसुचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान है, जबकि धारा 4 में अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा अवधि का प्रावधान है।

(ii) अधिनियम, 2020 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य ने 16.07.2021 दिनांकित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता सं. 1 को अध्यक्ष और याचिकाकर्ता सं. 2 से 3 को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसुचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद, याचिकाकर्ता अधिनियम, 2020 के अधीन निहित अपने कर्तव्यों का निर्वहन छत्तीसगढ़ शासन की अत्यधिक संतुष्टि के साथ कर रहे थे और याचिकाकर्ताओं के विरूद्ध कभी भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि, शासन के परिवर्तन के अनुसार, वर्ष 2023 में आयोजित राज्य विधानसभा चुनावों के कारण, छत्तीसगढ़ राज्य ने सं. 2270/1883/2023/I/6 (अनुलग्नक-**P**/1) वाले 15.12.2023 दिनांकित आदेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश जारी किए कि वे उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें 'राजनीतिक रूप से नियुक्त' किया गया था, जिन्हें लागू विधि के उपबंधों के अधीन हटाया नहीं जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) याचिकाकर्ता इस निष्कर्ष के अधीन थे कि चूंकि उनकी नियुक्ति अधिनियम, 2020 की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई थी, इसलिए उन पर 15.12.2023 (अनुलग्नक-**P**/1) का आदेश लागू नहीं किया जाएगा। यद्यपि, अचानक 15.12.2023 (अनुलग्नक-**P**/2) के आक्षेपित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है।

(**iv**) याचिकाकर्ताओं के अनुसार, अधिनियम, 2020 की धारा 4 (3) के उपबंधों में विशेष रूप से ऐसी संभावनाओं का प्रावधान है जब किसी सदस्य (अध्यक्ष सहित) को हटाया जा सकता है और प्रावधान विशेष रूप से प्रभावित व्यक्ति को उसकी सेवा समाप्ति/बर्खास्तगी से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करना करने का प्रावधान करता है।तत्काल प्रकरण में, अधिनियम, 2020 के उपबंधों का घोर उल्लंघन और गैर-अनुपालन होता है क्योंकि न तो धारा 4 (3) के अधीन हटाने के लिए निर्धारित तरीके का पालन किया गया है और न ही याचिकाकर्ताओं को उनकी सेवा समाप्त करने से पहले दिए गए परंतुक द्वारा उपबंधित सुनवाई का अवसर दिए जाने का पालन किया गया है और इस तरह, आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि से दोष पूर्ण है, अतः इसे रद्द किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. (क) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अधिनियम, 2020 के उपबंधों का घोर उल्लंघन हुआ है क्योंकि न तो धारा 4 (3) के अधीन हटाने के लिए निर्धारित तरीके का पालन किया गया है और न ही याचिकाकर्ताओं को दिए गए परंतुक द्वारा प्रदान किए गए सुनवाई के अवसर का दिनांक 15.12.2023 (अनुलग्नक-**P**/2) के आदेश को पारित करने से पहले। उन्होंने आगे कहा कि भले ही यह माना जाता है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 'राज्य सरकार के प्रसाद' के अधीन एक 'राजनीतिक नियुक्ति' है, 'प्रसाद के सिद्धांत' का सुस्थापित सिद्धांत न तो राज्य सरकार को विधि के उपबंधों को दरकिनार करने और उनका उल्लंघन करने का अधिकार देता है और न ही राज्य सरकार को विधि की उचित प्रक्रिया की घोर उपेक्षा करने के लिए पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता है। एक तरीका और तंत्र प्रदान करने वाले एक सांविधिक अधिनियम/योजना का उसके अक्षर और भावना में पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे किसी भी तरह के विचलन के परिणामस्वरूप पूर्ण अराजकता पैदा होगी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को बिना किसी नियंत्रण और संतुलन के पूर्ण स्वायत्तता मिलेगी।

(ख) विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उत्तरवादी अधिकारियों की उस आक्षेपित आदेश को जारी करने में कार्रवाई जिसके अधीन छत्तीसगढ़ राज्य ने याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त कर दिया है, विधि का स्पष्ट, पूर्ण और पूर्ण उल्लंघन है।उत्तरवादी प्राधिकारी एक 'राज्य' है और निष्पक्ष तरीके से अधिनियम करने के लिए विधि में कर्तव्यबद्ध है। आक्षेपित कार्रवाई इस तय किए गए विधि के बिल्कुल विपरीत है कि जहां शासन जनता के साथ व्यवहार कर रही है, वह अपनी सनक और इच्छाओं के अनुसार और एक निजी व्यक्ति की तरह मनमाने ढंग से अधिनियम नहीं कर सकती है, परन्तु इसकी कार्रवाई मानक या मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए जो मनमाना, तर्कहीन या अप्रासंगिक नहीं है। शासन की शक्ति या विवेकाधिकार तर्कसंगत, सुसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण मानक या मानदंड द्वारा सीमित और संरचित होना चाहिए और यदि शासन किसी विशेष प्रकरण या मामलों में ऐसे मानक या मानदंड से अलग हो जाती है, तो शासन की कार्रवाई तब तक निरस्त होने के लिए उत्तरदायी होगी जब तक कि शासन द्वारा यह नहीं दर्शाया गया जा सकता है कि प्रस्थान मनमाना नहीं था, परन्तु कुछ वैध सिद्धांत पर आधारित था जो अपने आप में तर्कहीन, अनुचित या भेदभावपूर्ण नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ग) विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश जारी करने से पहले राज्य को यह विचार करना चाहिए था कि सार्वजनिक विधि में कोई निरंकुश विवेकाधिकार नहीं है। उत्तरवादी की कार्रवाई एकतरफा और अवैध है और यह कार्रवाई अधिनियम, 2020 के उपबंधों के विपरीत राजनीतिक प्रतिशोध के कारण की गई है। वह निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह अस्थिर है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने किसी भी अयोग्यता को अर्जित नहीं किया है। यहां तक कि आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का उचित अवसर भी नहीं दिया गया है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **श्रीमती पद्म चंद्राकर व अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य**[1] के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए

1 WPC No. 408 of 2019 (decided on 2-5-2019)

निर्णय का अवलंब लिया है, जिसकी पुष्टि इस न्यायालय के खण्ड पीठ ने **छत्तीसगढ़ राज्य व एक अन्य बनाम श्रीमती पद्म चंद्राकर व अन्य**[2] के प्रकरण में की है।

4. (क) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति केवल शासन की प्रसाद पर्यन्त और शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार की गई थी जिसे रद्द कर दिया गया है। वे निवेदन करते हैं कि 16.7.2021 दिनांकित नियुक्ति आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया गया था, परिशीलन से पता चलता है कि यह उस संसोधन के अनुरूप किया गया था जो लाया गया है और यह भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि नियुक्ति शासन की इच्छा के दौरान एक अवधि के लिए थी। इसी तरह आदेश को उसी के संदर्भ में रद्द कर दिया गया है जैसा कि आक्षेपित आदेश से स्पष्ट है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) अपने तर्क को मजबूत करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता **ओम नारायण अग्रवाल व अन्य बनाम नगर पालिका, शाहजहांपुर व अन्य**[3]**; एम. रामनाथ पिल्लई बनाम केरल राज्य व एक अन्य**[4]**; कृष्ण, पिता- बुलाजी बोराटे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[5] **तथा चेविटी वेंकन्ना यादव बनाम तेलंगाना राज्य व अन्य**[6] के मामलों में सर्वोच्च न्यालालय द्वारा दिए गए निर्णय तथा **सुनकारी मल्लेशम बनाम तेलंगाना राज्य**[7] के मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हुए निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ताओं का नामांकन 'शासन की इच्छा के दौरान' अवधि के लिए था और कहा कि आदेश में तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था।वह प्रस्तुत करेगा कि सगाई को बिना किसी कलंक के रद्द कर दिया गया था और उत्तरवादी अधिकारियों ने आक्षेपित

---

2 WA No. 375 of 2019 (decided on 15-10-2019)

3 (1993) 2 SCC 242

4 (1973) 2 SCC 650

5 (2001) 2 SCC 441

6 (2017) 1 SCC 283

7 WA Nos. 766, 772, 775, 783 and 810 of 2024 (decided on 8-7-2024)

आदेश पारित करते समय अपने अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया था।वह निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करने से पहले चयन की किसी भी प्रक्रिया के अधीन नहीं किया गया था। इस प्रकार, जब प्रसाद के सिद्धांत को लागू किया जाता है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उपयोग नहीं होता है। विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज किए जाने की प्रार्थना करते हैं।

5. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

6. वर्तमान याचिका पर निर्णय लेने के लिए, अधिनियम, 2020 की धारा 3 और 4 के उपबंधों को उद्धृत करना सुसंगत होगा, जो निम्नानुसार हैंः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

राज्य अनुसुचित जनजाति आयोग का गठन

3. (1) राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो छत्तीसगढ़ राज्य अनुसुचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों का पालन करेगा।

(2) आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगेः-

(क) "छः अशासकीय सदस्य जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों, जिनमें से एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा और एक उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) होगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

परन्तु अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) सहित कम से कम चार सदस्य अनुसूचित जनजातियों में से होंगे।

(ख) आयुक्त, जनजाति विकास, छत्तीसगढ़।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

4. (1) "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।"

(2) कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी, यदि वह व्यक्ति-

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है।

(ख) किसी ऐसे अपराध के, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, दोषसिद्ध हो जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ग) विकृत चित हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है।

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है।

(ङ) आयोग से अनुपस्थिति रहने की अनुमति प्राप्त किए बिना आयोग से लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है, या

(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अनुसूचित जनजातियों के हितों या लोकहित के लिए अपायकर हो गया है।

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति को नया नामनिर्देशन करके भरा जाएगा तथा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की अवधि तक पद धारण करेगा।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए।

7. अधिनियम, 2020 की धारा 4 (3) किसी व्यक्ति को पद से हटाने के बारे में बात करती है यदि वह व्यक्ति (क) एक अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है; (ख) किसी ऐसे अपराध के, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, दोषसिद्ध हो जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है; (ग) विकृत चित हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है; (घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है; (ड.) आयोग से अनुपस्थिति रहने की अनुमति प्राप्त किए बिना आयोग से लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है, या (च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अनुसूचित जनजातियों के हितों या लोकहित के लिए अपायकर हो गया है। धारा 4 (3) में एक परंतुक खण्ड है जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अधिनियम, 2020 की धारा 4 (3) वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होगी क्योंकि आदेश पारित करते समय इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। चूंकि याचिकाकर्ताओं को पूर्ववर्ती शासन की प्रसाद के साथ नामनिर्दिष्ट किया गया था और उनकी विचारधारा वर्तमान शासन की नीतियों या विचारधाराओं के अनुरूप नहीं है और वर्तमान शासन द्वारा उन पर विश्वास की कमी उनके

नामनिर्दिष्ट पदों से हटाने का कारण है और प्रसाद की वापसी उनके प्रदर्शन और चरित्र पर कोई कलंक नहीं लगाती है।

9. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रसाद के सिद्धांत का प्रयोग वैध कारणों से किया गया है, अर्थात् वर्तमान शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य में विश्वास की हानि के साथ-साथ इस आधार पर कि याचिकाकर्ताओं की विचारधारा वर्तमान शासन की नीतियों या विचारधाराओं के अनुरूप नहीं है। नामांकन के माध्यम से पद पर नियुक्ति राजनीतिक प्रकृति की होती है। प्रसाद के सिद्धांत के आह्वान के लिए दिए गए उपरोक्त कारण आक्षेपित आदेश पारित करने के लिए वैध आधार हैं।

10. जहाँ तक **श्रीमती पद्मा चंद्राकर** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का याचिकाकर्ताओं द्वारा लिए गए अवलंब का प्रश्न है, यह याचिकाकर्ताओं के बचाव में उपयोगी नही होगा। 29.10.2016 दिनांकित नियुक्ति आदेश [रिट याचिका (सिविल) सं. 408/2019 का अनुलग्नक-**P**/3] के नियुक्ति आदेश से यह स्पष्ट है कि इसमें रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति शासन की प्रसाद से नहीं की गई थी, जबकि वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ताओं को अधिनियम, 2020 की धारा 4 (1) के अनुसार नामनिर्दिष्ट किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से उपबंधित है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य **राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त** उस दिनांक से पद धारण करेंगे, जिस दिन वह पद ग्रहण करेंगे। सुविधा हेतु, 16-7-2021 दिनांकित नामांकन आदेश (अनुलग्नक-**P**/7) तथा 15-12-2023 दिनांकित बर्खास्तगी का आदेश (अनुलग्नक-**P**/2) नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>16-7-2021 दिनांकित नामांकन आदेश</u>

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय,

महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 16 जुलाई, 2021

क्रमांक/ एफ 19-02/2020/25-1 (पार्ट) : राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम- 1995 यथा संशोधित अधिनियम- 2020 अध्याय-2 की कण्डिका- 3 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में निम्नानुसार अध्यक्ष/ सदस्यों की नियुक्ति करता है :

स. क्र.	नाम	पदनाम	गृह जिला
1	श्री भानुप्रताप सिंह, पूर्व विधायक	अध्यक्ष	सूरजपुर
2	श्री गणेश ध्रुव	सदस्य	बलौदाबाजार - भाटापारा
3	श्री अमृत टोप्पो	सदस्य	सरगुजा
4	श्रीमती अर्चना पोर्ते	सदस्य	गौरेला- पेण्ड्रा - मरवाही

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2/ नियुक्त अध्यक्ष/ सदस्यों का कार्यकाल छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, में पदग्रहण की तिथि से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त तक रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

सही/-

(डी. डी. सिंह)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग

15-12-2023 दिनांकित बर्खास्तगी (रिमूवल) आदेश :

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय,

महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 15 दिसम्बर, 2023

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रमांक/ एफ 19-02/2020/25-1 (पार्ट) : विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जुलाई, 2021 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में निम्नांकित अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य शासन के प्रसाद पर्यन्त तक की गई थी-

स. क्र.	नाम	मनोनीत/ पद का नाम
1	श्री भानुप्रताप सिंह	अध्यक्ष
2	श्री गणेश ध्रुव	सदस्य
3	श्री अमृत टोप्पो	सदस्य
4	श्रीमती अर्चना पोर्ते	सदस्य

2/ राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में उक्त नियुक्तियाँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

सही/-

(सरोजनी टोप्पो)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आ. जा. तथा अनु. जा. वि. वि.

11. उक्त आदेशों के केवल परिशीलन से ही यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं का नामांकन राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त किया गया है। चूंकि हटाने (बर्खास्तगी) का आदेश सरलीकरण में पारित किया गया है, इसलिए सुनवाई का अवसर देने का प्रश्न भी नहीं उठता है, जैसा कि अधिनियम, 2023 की धारा 4 (3) के अधीन उपबंधित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यह सुस्थापित विधि है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन उसमें प्राप्त होने वाली तथ्यात्मक स्थिति के संबंध में किया जाना आवश्यक है। इसे कठोर सूत्र में नहीं रखा जा सकता है। इसे प्रकरण के सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ के बिना शून्य में लागू नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, यह विदित है, कोई अनियंत्रित घोड़ा नहीं है। जब तथ्यों को स्वीकार किया जाता है, तो सुनवाई का अवसर देना एक खाली औपचारिकता होगी। यहां तक कि विबंधन का सिद्धांत भी लागू होगा।

13. याचिकाकर्ताओं के पास कोई संवैधानिक पद नहीं है और वे अपने कार्यकाल के संबंध में किसी भी संवैधानिक संरक्षण या किसी भी वैधानिक संरक्षण के हकदार नहीं हैं। तथ्यों और परिस्थितियों में आह्वान के सिद्धांत के प्रयोग को मनमाना, तर्कहीन और अनुचित नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ताओं को निर्वाचित नहीं किया गया था और यहां तक कि उन्हें किसी भी प्रकार के चयन द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था। उन्हें पिछली सरकार द्वारा चुना गया था।

14. यह सामान्य विधि है कि यदि नियुक्ति शुरू में नामांकन द्वारा की गई है, तो संविधान प्रकरण किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हो सकता है, यदि विधायिका राज्य सरकार को अपनी इच्छानुसार ऐसी नियुक्ति को समाप्त करने और उनके स्थान पर नए सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने प्रकरण लिए अधिकृत करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पास इच्छा या अधिकार नहीं होता है। अधिकारियों की कार्रवाई न तो संविधान के किसी अनुच्छेद को आहत करती है और न ही वह संविधान में निहित किसी भी सार्वजनिक नीति या लोकतांत्रिक मानदंडों के विरूद्ध है। वर्तमान में एक नामनिर्दिष्ट सदस्य को भी इस अवधि के दौरान प्रक्रिया को अपनाकर हटाया जा सकता है। अन्यथा, वह अपना कार्यकाल समाप्त होने तक बना रहेगा। निहित अधिकार की अभिवाक् स्पेन में एक महल के निर्माण के समान है। उसके पास खड़े होने के लिए पैर नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **ओम नारायण अग्रवाल** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश नगर पालिक अधिनियम, 1916 की धारा 9 पर विचार किया जो प्रसाद के सिद्धांत को उपबंधित करता है तथा इसकी मान्यता को संपुष्ट किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम, 2020 के उपबंधों की वैधता को चुनौती नहीं दी है।

16. **बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ व एक अन्य**[8] के मामले में सर्वोच्च न्यालालय ने राज्यपालों के संबंध में प्रसाद (आनंद) के सिद्धांत के आह्वान पर विचार करते हुए कहा है कि प्रसाद के सिद्धांत को वैध कारणों से लागू किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यालालय ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि प्रसाद के अधीन पद के धारक को किसी भी समय, बिना किसी सूचना के, बिना कारण बताए और बिना किसी कारण की आवश्यकता के हटाया जा सकता है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ताओं को उनके नामांकन से पहले चयन की किसी भी प्रक्रिया के अधीन नहीं किया गया है।

8 (2010) 6 SCC 331

17. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों परविधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से मेरे विचार में, आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक- **P/2**) में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है। यह न्यायसंगत और उचित है जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आश्यकता नहीं है।

18. परिणामस्वरूप, सारहीन होने के कारण याचिका खारिज किए जाने योग्य है तथा एतद्द्वारा खारिज की जाती है। वाद-व्यय के विषय में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(बिभु दत्त गुरु)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शीर्ष टिप्पण

'शासन के प्रसाद पर्यंत' अंतर्गत पद धारित करने वाले व्यक्ति को उसके पद से किसी भी समय, बिना किसी सूचना के, बिना कारण बताए और बिना किसी कारण की आवश्यकता के हटाया जा सकता है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**